"k"Be v/;k;% vU; dj izkfIr;k

[k.M v% jkT; mRiknu

6-1 dj iz'kklu

आबकारी विभाग की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैः

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 एवं
- छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी विभाग, मनोरंजन शुल्क का भी संग्रहण करता है।

सचिव सह आबकारी आयुक्त (आ.आ.) आबकारी नीतियों को बनाने एवं उसका क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय में उसकी सहायता हेतु दो अपर आबकारी आयुक्त पदस्थ है। विभाग तीन मण्डलों में विभक्त है, प्रत्येक मण्ड़ल का मुख्य उपायुक्त (उ.आ.) होता है, जो अपने क्षेत्र के जिला कार्यालयों, आसवनियों एवं बोतल भराई संयंत्रों का पर्यवेक्षण करता है। राज्य के कुल 27 जिलों में से प्रत्येक जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु जिला मुख्यालयों/आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते है।

pkVZ 6-1% laxBukRed lajpuk

6-2 vkarfjd ys[kkijh{kk

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

एक संयुक्त संचालक (सं.सं), दो सहायक लेखाधिकारी, एक सहायक ग्रेड–II एवं दो सहायक ग्रेड– III के स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक सं.सं. एवं दो सहायक ग्रेड– III कार्यरत थें। कर्मचारियों के कमी के कारण वित्त विभाग द्वारा शेष पदों को भरा नहीं

गया। सं.सं.(वित्त) द्वारा दोहरे प्रभार एवं अन्य कर्मचारियों के अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2015–16 में कोई भी इकाई की लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई गई और निरीक्षण भी नहीं किया जा सका।

ge vuq'kalk djrs gSa fd 'kklu vkarfjd ys[kkijh{kk bdkbZ dks lqn`<+ djrs rkfd dj ds laxzg.k esa =qfV;ksa dks le; ij [kkst dj mlij lq/kkj lqfuf'pr fd;k tk ldsA

6-3 ys[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2015–16 में आबकारी विभाग के कुल 27 इकाईयों में से छः इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा के दौरान हमने विभिन्न अनियमितताओं के राशि ₹ 51.01 करोड के 836 प्रकरणों को इंगित किया, जो कि rkfydk 6-1 में दिये गये श्रेणीयों में वर्णित है।

rkfydk 6-1% ys[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	Js.kh	izdj.kksa dh la[;k	jkf'k
1.	आबकारी शुल्क/लायसेंस फीस का अवरोपण/अनारोपण	53	25.48
2.	अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क का अनारोपण	670	0.18
3.	मनोरंजन शुल्क का बकाया एवं शास्ति का अनारोपण	8	0.02
4.	अन्य अनियमितताए	105	25.33
;kx		836	51-01

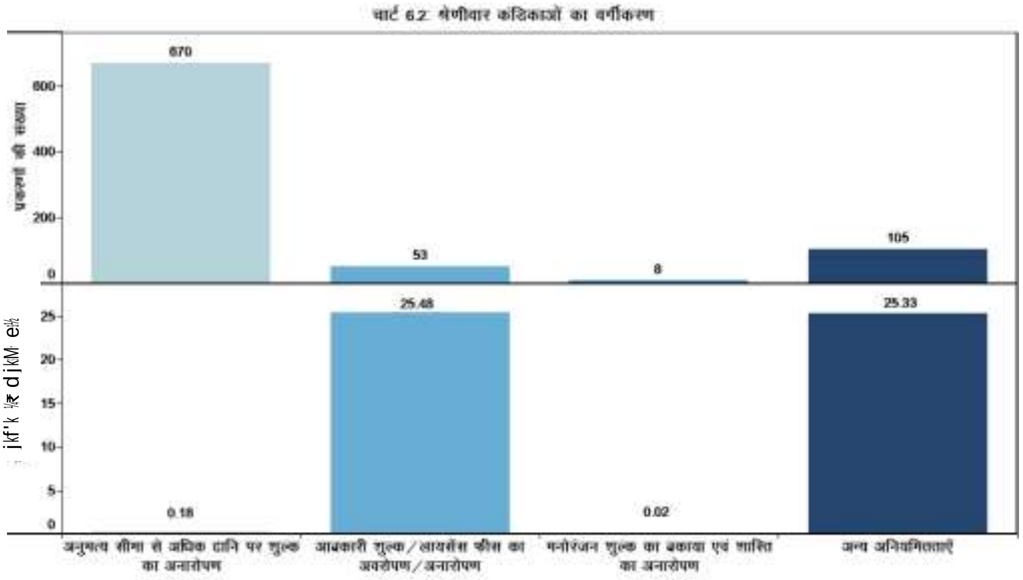

वर्ष 2015–16 के दौरान विभाग द्वारा 696 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 1.04 करोड़ सन्निहित थी, को स्वीकार किया है।

कुछ मुख्य प्रकरणों, जिनमें ₹ 89.37 लाख सन्निहित है का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

6-4 ,Q,y 3 vuqKfIr/kkjh ls ykblsal Qhl dh de olwyh

ftyk vkcdkjh vf/kdkjh] /kerjh }kjk ykblsal Qhl dh x.kuk djrs oä uxj@LFkku dk lai.kZ tula[;k dk lEEkfyr ugha fd;k x;k] ftlds QyLo:Ik ykblsal Qhl dh jkf'k ₹ 12 yk[k dh de olwyh gqbZA

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8(1)(स) प्रावधानित करता है कि कोई होटल अपने लायसेंस परिक्षेत्र में हल्के खाने के साथ होटल में निवासियों, अगान्तुकों एवं महमानों को विदेशी मदिरा परोसना चाहता है उसे एफ एल–3 लायसेंस प्राप्त करना होगा। आबकारी आयुक्त ने समस्त कलेक्टर को निर्देशों को जारी (मार्च 2013) किया कि ऐसे नगर/स्थान जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक परंतु तीन लाख से अनधिक में एफ एल 3 अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2013–14 हेतु ₹ 12 लाख प्रति वर्ष लायसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

जि.आ.अ., धमतरी के चार एफ एल–3 अनुज्ञप्तिधारियों में से चारों अनुज्ञप्तिधारियों के अभिलेखों के नमूना जाँच (नवम्बर 2015) में हमने पाया कि जि.आ.अ. द्वारा वर्ष 2013–14 के लायसेंस जारी करते वक्त शहर की जनसंख्या 89,836 मानते हुए प्रति अनुज्ञप्तिधारी राशि ₹ नौ लाख की दर से लायसेंस फीस वसूल किया। जिला योजना एवं सांख्यकीय अधिकारी, धमतरी ने अपने पत्र (मार्च 2014) मे सूचित किया कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार धमतरी नगर निगम की जनसंख्या एक लाख (1,01,677) से अधिक है। परंतु जि.आ.अ. द्वारा त्रुटिवश शहर की जनसंख्या एक लाख से कम मानते हुए चारों[1] अनुज्ञप्तिधारियों से ₹ 48 लाख के विरूद्ध ₹ 36 लाख लायसेंस फीस वसूल की गई, जिसके परिणामस्वरूप लायसेंस फीस की राशि ₹ 12 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा की 1,01,677 जनसंख्या में बाह्य क्षेत्र भी सम्मलित है, जो कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते है। शासन के अधिसूचना (जुलाई 2014) अनुसार धमतरी नगर निगम का जनसंख्या 89,860 है तदनुसार प्रत्येक एफ एल 3 अनुज्ञप्तिधारी से ₹ नौ लाख की दर से लायसेंस फीस की वसूली की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाह्य क्षेत्र भी नगर निगम का हिस्सा है, जैसा की जिला योजना एवं सांख्यकीय अधिकारी, धमतरी ने व्यक्त किया। अतः जि.आ.अ. को शहर का जनसंख्या एक लाख से अधिक मानकर उसके अनुरूप लायसेंस फीस की वसूली की जानी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–15 के अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण करते समय जि.आ.अ. ने शहर की जनसंख्या को एक लाख से अधिक मानते हुए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 12 लाख की दर से लायसेंस फीस की वसूली की गई।

6-5 fons'kh efnjk ds vR;f/kd gkfu ij 'kqYd dh olwyh

vklod ¼fMLVhyj½ }kjk Hkkjrh; fufeZr fons'kh efnjk ¼vkbZ-,e-,Q-,y-½ ds fu;kZr esa vuqeR; lhek ls vf/kd gkfu gqbZ ,oa vf/kd gkfu ij vklod ls

[1] क्लासीकल होटल एवं रेस्टारेन्ट, खुशी रेस्टारेंन्ट होटल बग्गा, होटल हरियाली एवं रेस्टारेन्ट एवं होटल फैमली ढाबा कोठारी पार्क

vkcdkjh 'kYd ₹ 28-34 yk[k dh olyh ugh fd xbA

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16(3) अनुसार बोतलबंद आई.एम.एफ. एल. के निर्यात पर परिवहन के दौरान अधिकतम हानि 0.25 प्रतिशत ही मान्य है। आगे नियम 16(5) यह प्रावधानित करता है कि निर्यात के दौरान यदि हानि अनुमत्य सीमा (0.25 प्रतिशत) से अधिक है तो अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क की राशि अनुज्ञपप्तिधारी से वसूली जावेगी।

जि.आ.अ., मुंगेली के प्रेषित माल पंजी की नमूना जांच (दिसम्बर 2015) में हमने पाया कि कुल 817 प्रकरणों में से 668 प्रकरणों में मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंगेली ने जि.आ.अ. द्वारा जारी किये गये परमिट के आधार पर 48.09 लाख प्रुफ लीटर (प्रु.ली.) का निर्यात असम राज्य को किया। आगे हमने देखा की कुल प्रेषित 48.09 लाख प्रु.ली. के विरूद्ध, प्राप्तकर्ता के भण्डारगृह में 47.69 लाख प्रु.ली. विदेशी मदिरा प्राप्त हुई। अतः मान्य हानि 0.12 लाख प्रु.ली. (0.25 प्रतिशत) के विरूद्ध वास्तविक हानि 0.40 लाख प्रु.ली. (0.83 प्रतिशत) रही, जो कि अनुमत्य सीमा से 0.28 लाख प्रु.ली. अधिक थी। अतः अनुमत्य सीमा से अधिक हानियों पर आबकारी शुल्क राशि ₹ 28.34 लाख[2] आसवक द्वारा देय है, जैस कि *ifjf'k"V 6-1* में वर्णित किया गया है। जि.आ.अ. द्वारा निर्यात के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क का आरोपण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की राशि ₹ 28.34 लाख अवसूल रही।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने तथ्य को स्वीकारते (नवम्बर 2016) हुए कहा की वसूली की कार्यवाही जारी है।

6-6 vuKfIr/kkjh dk vufpr ykHk igpkuk

dyDVj }kjk vuKfIr dk vH;iZ.k dk idj.k dk vf/kfu;e dk iko/kku vuIkj vkcdkjh vk;ä dk if"kr u dj vuKfIRk dk fujLr fd;kA IkFk gh vkcdkjh 'kYd ,o yk;IlI Qhl dh jkf'k ₹ 49-03 yk[k iol vuKfIr/kkjh Is olyu ugh dh xbA

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के धारा 33 (1) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर कि गई अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की जो, उसके कलेक्टर को दी गई अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा अभ्यर्पण किये जाने की दशा में चालू रहती है अनुज्ञप्ति के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा, परंतु यदि आबकारी आयुक्त के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह अभ्यर्पण पर इस प्रकार देय राशि या उसके किसी भाग की छूट उसके धारक को दे सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (स.आ.), दुर्ग के वर्ष 2013–14 के खुदरा देशी/आई.एम.एफ. एल. दुकानों के आबंटन अभिलेखों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2015) में देखा गया कि एक अनुज्ञप्तिधारी को देशी/विदेशी मदिरा विक्रय करने हेतु एक समूह का आबंटन किया गया। दुकानों के समुह का वार्षिक राजस्व ₹ 12.34 करोड़[3] था। प्रकरण के अग्रेतर जाँच में हमने देखा कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दुकानों को दो माह संचालन करने के उपरांत कलेक्टर को दुकानों के संचालन करने में असमर्थता के कारण लायसेंस

---

[2] (40,367.214 प्रु.ली.–12,022.335 प्रु.ली.)= 28,344.879 प्रु.ली. * ₹ 100 प्रति प्रु.ली.

[3] लायसेंस फीसः ₹ 8.02 करोड़ एवं आबकारी शुल्कः ₹ 4.32 करोड़

अभ्यर्पण करने हेतु आवेदन (मई 2013) दिया गया। जबकि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर को प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जाना चाहिए था, परंतु कलेक्टर द्वारा प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये बगैर, दुकानों के संचालन अवधि अप्रैल 2013 से माह जून 2013 के शुल्क एवं लायेसंस फीस की राशि ₹ 3.26 करोड़ प्राप्त कर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2013 से 15 सितम्बर 2013 तक दुकानों का संचालन किया एवं उसके बाद की अवधि नये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन करते हुए वसूलनीय शेष राशि ₹ 9.08 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 8.59 करोड़ ही प्राप्त कर सका। कम प्राप्त आबकारी शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 49.03 लाख[4] पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से वसूलनीय थी। परंतु पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतर की राशि आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया। अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण को बिना आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये स्वयमेव निर्णय लेकर अनुज्ञप्ति निरस्त करना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। साथ ही दो वर्ष समाप्त पश्चात् विभाग द्वारा अंतर की राशि ₹ 49.03 लाख वसूल नहीं कर पाया।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने के बाद शासन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से बकाया वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.प.) जारी कर दी गई है। परन्तु उत्तर में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन कारणों से कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अनुज्ञप्ति का निरस्त किया गया।

[k.M c% okguksa ij dj

6-7 dj iz'kklu

वाहनों पर कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैः

- मोटर यान(मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी कार्यपालिक आदेशों

परिवहन विभाग प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के नियंत्रण के अधीन समस्त कार्य करता है, जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय में एक अपर परिवहन आयुक्त (अ.प.आ.), एक संयुक्त प.आ., एक सहायक प.आ. एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) होते है। साथ ही प.आ. के प्रशासनिक नियंत्रण में चार क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (क्षे.प.अ.), दो सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (सहा.क्षे.प.अ.) एवं 16 जिला परिवहन अधिकारी

[4] ₹ 9.08 करोड़ –₹ 8.59 करोड़

(जि.प.अ.) पदस्थ है। इसके अतिरिक्त 15 जांच चौकीयां है एवं प्रत्येक जांच चौंकी संबंधित क्षे.प.अ./सहा.क्षे.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में होते है।

pkVZ 6-3% laxBukRed lajpuk

6-8 vkarfjd ys[kkijh{kk

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

मार्च 2016 की स्थिति में दो वरिष्ठ लेखापरीक्षकों एवं चार कनिष्ठ लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में मात्र दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक ही कार्यरत थे। वर्ष 2015–16 में विभाग द्वारा 16 कार्यालयों के निरीक्षण किये जाने की योजना बनाई जिसके विरूद्ध सात क्षेत्रीय कार्यालयों का ही निरीक्षण किया गया एवं 126 वाहनों से संबंधित राशि ₹ 74.04 लाख के प्रेक्षण जारी किये गये।

ge vuq'kalk djrs gS fd 'kklu vkarfjd ys[kkijh{kk bdkbZ dks lqn`<+ djrs rkfd dj dh laxg.k esa =qfV;ksa dk le; ij [kkstus ,oa mls ij lq/kkj dk lqfuf'pr fd;k tk ldsA

6-9 ys[kkijh{kk ifj.kke

वर्ष 2015–16 में परिवहन विभाग के कुल 21 इकाईयों में से 13 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं के 53,262 प्रकरणों जिसमें ₹ 49.53 करोड़ सन्निहित थे, को इंगित किया, जो कि rkfydk 6-2 में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते है।

rkfydk 6-2% ys[kkijh{kk ifj.kke

¼₹ djksM+ esa½

l-Ø-	J.kh	idj.kksa dh	jkf'k

		I[;k	
1.	व्यापार कर की कम प्राप्ति	722	1.40
2.	वाहनस्वामियों से कर एवं शास्ति की राशि की अप्राप्ति	10,794	41.49
3.	अन्य अनियमितताए	41,746	6.64
	;kx	53]262	49-53

चार्ट 6.4: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण

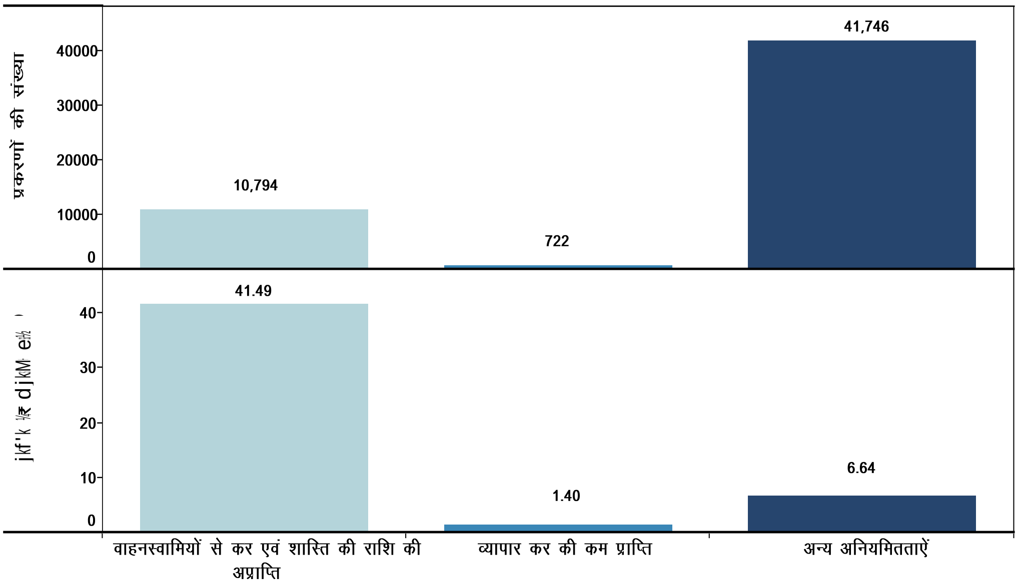

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं के 26,202 प्रकरणों, जिसमें ₹ 47.31 करोड़ सन्निहित थे, को स्वीकार करते हुए नौ प्रकरणों में ₹ 1.05 लाख की वसूली की है।

एक प्रकरण जिसमें राशि ₹ 14.01 लाख सम्मिलित है, का आगामी कंडिका में वर्णन किया गया है।

6-10 ;k=h ,oa eky;kuksa ds okguLokfe;ksa ls ekVj;ku dj dk vukjksi.k

ft-i-v-] tkatxhj&pkaik }kjk 87 eky;kuksa ,oa lkr ;k=h;kuksa ls ekVj;ku dj izkfIr gsrq dk;Zokgh djus esa foQy jgk] ftlds ifj.kkeLo:i dj dh jkf'k ₹ 7-87 yk[k vizkIr jghA lkFk gh blij 'kkfLr ₹ 6-14 yk[k Hkh vkjksi.kh; FkhA

छ.ग.मो.या.क. अधिनियम के धारा 3 अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट दर से किया जायगा। अधिनियम के धारा 13 (1) अनुसार अगर वाहनस्वामी द्वारा कर का संदाय नहीं किया गया है तो शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त रकम के बारहवें भाग की दर से, किन्तु कर की बकाया तथा असंदत्त रकम से अधिक शास्ति के लिए दायी होगा।

कार्यालय जि.प.अ., जांजगीर–चांपा के 384 यात्रीयानों एवं 1,946 मालयानों का वाहन डाटाबेस की नमूना जाँच (फरवरी 2016) किये जाने पर हमने पाया की 31 मार्च 2016 की स्थिति में 87 मालयानों एवं सात यात्रीयानों से कर की राशि ₹ 7.87 लाख बकाया थी। आगे जाँच में पाया गया कि की इन वाहन स्वामियों द्वारा ऑफ–रोड घोषणा पत्र

नहीं दिये है। चूंकि कर का संग्रहण एवं बकाया कर का निगरानी विभाग द्वारा मासिक विवरणी के माध्यम से किया जाता है, जि.प.अ. द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु मांग जारी किया जाना चाहिए था। परंतु जि.प.अ. द्वारा कर वसूली हेतु कोई मांग जारी नहीं की गई। अतः मोटरयान कर की राशि ₹ 7.87 लाख की प्राप्ति नहीं कि जा सकी। आगे छ.ग.मो.या.क. अधिनियम, 1991 के धारा 13 (1) के अनुसार इस पर शास्ति ₹ 6.14 लाख भी वसूलनीय है।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2016) में कहा की जून 2016 की स्थिति में एक यात्रीयान एवं आठ मालयानों से बकाया कर की राशि ₹ 0.55 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 0.50 लाख वसूल कर ली गई है। शेष वाहनों से बकाया वसूली हेतु मांग जारी कर दी गई है एवं संबंधित वाहनस्वामियों को कालीसूची में दर्ज कर दिया गया है।